

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - नौगाव

तहसील - बडकेट

जिला - उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाव में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Barnigad to Sharukhet (Total Length-18.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.546 है० वन भूमि को उपयोग लाये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौगाव द्वारा दिनांक 23-1-18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौगाव के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.546 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के द्वारा उपयोग लाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित



Sudhir Chauhan
GM-Projects & Planning
Vindhya Telelinks Limited

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कुआँ

तहसील - नौगाव (गडकीट)

जिला - उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाव में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Barnigad to Sharukhet (Total Length-18.2 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.546 है० वन भूमि को उपयोग लाये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुआँ द्वारा दिनांक 23-1-18 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुआँ के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.546 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के द्वारा उपयोग लाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित



ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Sudhir Chauhan
GM-Projects & Planning
Vindhya Telelinks Limited